

चिकित्सा-विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र



इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

तीन बातें
तीन बातें कभी छोटी न समझें
शत्रु, कर्जा और बीमारी
तीन चीजें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती
समय, मृत्यु और ग्राहक
तीन चीजें खूब को खर्च का दुःखान बना देती हैं
जुर, जोर और जायदाद
तीन चीजें याद रखना जरूरी हैं
सच्चाई, कर्तव्य और मौत
इस स्थान पर फोटो सा विज्ञापन देकर अपने व्यवसाय में खर खर्च आर भी लगा सकते हैं।

**Wish you
All A
Happy
&
Prosperious
Diwali**

पत्र व्यवहार हेतु पता :-
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' प्लूटी, कानपुर-208014

वर्ष -38 • अंक -20 एवं 21 (संयुक्त) • कानपुर 1 से 15 नवम्बर 2016 • प्रधान सम्पादक - डा0 एम0 एच0 इदरीसी • वार्षिक मूल्य - ₹ 100

मान्यता के समकक्ष आने के लिये पाठ्यक्रमों का उच्चीकरण शीघ्र होगा

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून बनाने जाने संबन्धी प्रकरण इस समय एक बार फिर काफी जोरों पर है केन्द्र सरकार इस बात के लिये प्रतिबद्ध है कि शीघ्र ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून बनाये जाने संबन्धी प्रस्ताव पर गम्भीरता से चर्चा हो और जो परिणाम आयें उसके आधार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये कानून की प्रक्रिया को गति प्रदान किया जाये।

गतांक में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा पारित क्लीनिकल स्टैंडिजमैन्ट एक्ट 2010 को प्रदेश में आंशिक संशोधनों के साथ लागू कर दिया है जिसके लिये बाकायदा प्रदेश के महासचिव राज्यपाल द्वारा अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है, इस अधिसूचना के जारी होते ही प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये पूर्व के प्रचलित नियमों में आंशिक परिवर्तन आया है।

पूर्व में व्यवस्था थी कि किसी भी चिकित्सक को प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये अपने परिषद के पंजीयन के साथ-साथ जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में भी पंजीयन के लिये आवेदन देना पड़ता था परन्तु बदती हुई परिस्थितियों में पंजीयन की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया गया है। परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार अब मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों का पंजीयन अपने-अपने विभाग के जिलास्तरीय अधिकारियों के यहां प्रेषित करना है, अब जनपद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी केवल एलोपैथिक चिकित्सकों के पंजीयन का ही आवेदन स्वीकार करेंगे, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के यहां प्रेषित करेंगे, इसी प्रकार होम्योपैथिक के चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन जिला होम्योपैथिक अधिकारी के यहां करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के लिये तो व्यवस्था तय कर दी गई है लेकिन अधिकार प्राप्त चिकित्सक

पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अस्तु ऐसे में यह प्रश्न उठता कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक कहीं जायें ?

बिना पंजीयन के प्रेषित करना विधि सम्मत नहीं है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेडिसिन, उओप्र0 ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया और तमाम चिकित्सा विधि विशेषज्ञों से सम्पर्क किया और शासन स्तर पर भी इस गम्भीर विषय पर चर्चा की, तब कहीं जाकर यह निर्णित हो पाया कि सरकार द्वारा जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए पृथक व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक इस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में ही करेंगे।

बहुत सम्भव है कि कुछ मुख्य चिकित्साधिकारी पंजीयन के विषय पर अपनी दो टूक राय में यह कह दें कि हम सिर्फ एलोपैथी का ही रजिस्ट्रेशन करते हैं ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सकों को चाहिये कि वे अपने पंजीयन का आवेदन डाक द्वारा प्रेषित करें। बोर्ड इस विषय पर गम्भीरता से लगा है और अपेक्षा की जा सकती है कि परिणाम भी सुखद आयेंगे।

पंजीयन के विषय के बाद एक बात जो सबसे गम्भीर है कि मान्यता के लिए जो व्यवस्थाएँ वर्तमान में हैं वह काफी नहीं हैं उसमें मूलभूत परिवर्तन होना है और समय रहते यदि व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया तो हम काफी पिछड़ जायेंगे।

वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कोर्स संचालित हो रहे हैं उनकी अवधियाँ और उनके पाठ्यक्रम उच्चीकरण की मांग करते हैं जैसा कि पिछले अंक में आपने पढ़ा होगा कि नई व्यवस्थाओं के तहत जो पाठ्यक्रम विभिन्न संस्थाओं

द्वारा संचालित किये जा रहे हैं उनकी उपयोगिता और वैधता पर प्रश्न विन्ध है, प्रदेश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं वह कोई भी स्नातक स्तर के समकक्ष नहीं है और जो पाठ्यक्रम स्नातक स्तर से कम हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। जैसाकि हमने प्रारम्भ में

सरकार इस विन्दु पर यदि ज्यादा गम्भीर हो गयी तो शायद वह परिणाम न मिल पावे जो हमें अपेक्षित है वर्ष 2010 में केन्द्र सरकार द्वारा सभी चिकित्सा पद्धतियों की चिकित्सा और पाठ्यक्रमों को नीतिगत ढंग से निर्धारित करने के लिए जो क्लीनिकल स्टैंडिजमैन्ट एक्ट लागू किया उसमें जो-जो बिन्दु शामिल किये गये हैं यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी उन बिन्दुओं को पूरा नहीं करती है तो कम से कम उसके समकक्ष तो आना ही पड़ेगा, किसी भी चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है उस

चिकित्सा पद्धति का पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उसकी निर्धारित अवधि। सरकार का मानना है कि किसी भी चिकित्सक को पूर्ण ज्ञान कम से कम न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि के पाठ्यक्रम से ही सम्भव है उसके बाद कम से कम 6 माह या 1 साल का क्रियात्मक ज्ञान भी लेना आवश्यक है अब जब मान्यता की बात चल ही पड़ी है तो हमें उसकी कसौटी में कसना ही होगा यदि समय रहते हमारे संचालक गणों ने व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया तो निश्चित मानिये परिणाम कोई अच्छे संकेत नहीं देंगे, आज परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में हैं वातावरण भी कार्य करने का है और सबसे अच्छी बात यह है कि केन्द्र सरकार का रुख भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सकारात्मक है, इसलिए ऐसे अवसरों का हम सबको लाभ उठाना चाहिये और समय रहते अपनी सारी व्यवस्थाएँ ठीक कर लेनी चाहिये जो संस्थाएँ एक वर्ष या 6 महीने का कोर्स चला रही हैं उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये कि इतने न्यूनतम अवधि के पाठ्यक्रमों का औचित्य क्या है और उनकी वैधानिक स्थिति क्या है ?ऐसा नहीं है कि न्यूनतम अवधि के पाठ्यक्रम नहीं चलते, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा एक वर्ष और दो वर्ष के

सर्टिफिकेट कोर्स चलाये जाते हैं लेकिन यह कोर्स वही चिकित्सक कर पाता है जिसके पास चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु आवश्यक चिकित्सकीय अर्हता होती है एक वर्ष या दो वर्ष के पाठ्यक्रमों से कोई भी चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय हेतु अर्ह नहीं हो पाता ठीक इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कोर्स चल रहे हैं उनके उच्चीकरण की महत्ती आवश्यकता है यदि अभी भी हम लोग सचेत नहीं हुए तो कब होंगे ?यह प्रश्न हर जिम्मेदार संस्था संचालक को स्वयं से करना चाहिये और उसपर गम्भीरतापूर्वक चिन्तन करते हुए भविष्य की रूपरेखा तय करनी चाहिये क्योंकि समय ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगा मानको और मापदण्डों की नकल हम पर और कसैगी इसलिए समय की मांग के अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन बहुत आवश्यक है परिवर्तन समय की मांग है यदि यह कार्य हम सब अभी भी नहीं पूरा करते हैं तो निश्चित समझ लें कि हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वास्तविक हितैषी नहीं हैं यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है तो परिवर्तन के साथ आगे बढ़ना होगा।

- 😊 मान्यता हेतु पाठ्यक्रमों का स्तर बढ़ेगा
- 😊 न्यूनतम अवधि चार वर्ष होगी
- 😊 6 माह की इन्टर्शिप
- 😊 चिकित्सालयों की व्यवस्था सुनिश्चित
- 😊 इनडोर-आउटडोर आवश्यक
- 😊 स्टाफ की संख्या निश्चित होगी
- 😊 औषधि के क्षेत्र में भी कार्य
- 😊 शासकीय सेवाओं की पूरी संभावनायें

आवश्यक सूचना
अब कार्डेंट डारन शुरु
इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास संजोए
व
बढ़ते कदमों की जीती-जागती तस्वीर
A Saga of
Electro Homoeopathy
(A Documentary Film)
का लोकार्पण
नवम्बर के तीसरे
या चौथे रविवार को
नई दिल्ली में
संभावित है
एम0 इदरीसी खान
निर्माता एवं वितरक
फोन:- +91 93111565014

बदलती सोच - बदलते लोग !

यह सामान्य सी बात है कि समय के साथ-साथ लोगों की सोच बदलती है परन्तु सोच के साथ जब लोग बदलते हैं तो एक नई व्यवस्था निर्मित होती है।

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सोच के साथ-साथ लोग भी बदलते जा रहे हैं, कुछ वर्षों पहले तक जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े थे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिये कार्य करते थे उनकी सोच बहुत सकारात्मक हुआ करती थी, विषण्डन या विभाजक भावनाओं का लेश मात्र भी दर्शन नहीं होता था, लेकिन ज्यों-ज्यों समय बदलता गया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति में भी परिवर्तन होने लगा हमारे साथियों के विचारों में व कार्य प्रणाली में आमूल-मूल परिवर्तन होने लगा और इस परिवर्तन में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा व दशा दोनों बदलकर रख दी, पहले भावनाओं में श्रद्धा, समर्पण व कर्तव्य निष्ठा के जो दर्शन होते थे सन्तः सन्तः उसका लोप होने लगा है हम इस परिवर्तन से न तो विस्मित हैं और न ही अचम्बित, यह सत्य है कि आज का युग अर्थ युग है और हर क्रियायें आर्थिक हो रही हैं आर्थिक होना बुरी बात नहीं है, यह कट्ट सत्य है कि बिना अर्थ के कोई काम सम्भव नहीं है, परन्तु अर्थ से ही सबकुछ सम्भव हो यह भी सत्य नहीं है।

आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिये जिस समर्पण के भाव का होना आवश्यक है उस भाव के दर्शन अब कम होते हैं, आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति के लिये हमारे साथियों द्वारा जो येन-केन-प्रकारेण कार्य हो रहे हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को जो क्षति पहुँचा रहे हैं यदि समय रहते ऐसे कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई तो जो क्षति होगी उसकी भरपाई आसान नहीं होगी। धीरे-धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस विकास की राह पर आगे बढ़ रही है वहाँ पर एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, अधिकार और कर्तव्य के पवड़े में न पड़ते हुये हम सभी को कर्तव्य के पथ पर डट जाना चाहिये और कर्तव्य के द्वारा ही मार्ग में आने वाले प्रत्येक अवरोधों को दूर करते हुये एक नई राह बनानी होगी, इस राह को बनाने के लिये हमें किसी के पहल की प्रतीक्षा नहीं करनी है बल्कि इसे अपना कर्तव्य मानकर प्रारम्भ कर देना है। जो लोग व्यवस्थाओं और अधिकारों का बहाना बना कर कर्तव्य मार्ग से विलग हो रहे हैं वह कदाचित इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शुभेक्षु नहीं हैं और न ही ऐसे लोगों से किसी परिवर्तन की आशा की जा सकती है, आज कार्य करने का वातावरण है, अवसर भी है हम सब को इस वातावरण का और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाना चाहिये, आप देख ही रहे हैं कि परिस्थितियाँ पल-पल बदल रही हैं पता नहीं कब ? कहाँ ? कौन सा ? लाभ हम सब को प्राप्त हो जाये, जिस गति से सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के लिये विचार प्रकट कर रही है, वह इस बात का संकेत दे रही है कि देर-सवेर ही सही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये अच्छे से अच्छे सन्देश प्राप्त होने हैं परन्तु इन सन्देशों को पाने के लिये सामूहिक प्रयास करने होंगे हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिये साथ ही साथ हमारे विश्वास में किन्तु अथवा परन्तु का कोई स्थान नहीं है।

धीरे-धीरे लोगों के विचारों में परिवर्तन हो रहा है कल तक हमारे जो साथी हमारे विचारों से सहमत नहीं दिखते थे आज वही प्रत्यक्ष न सही परन्तु मौन समर्थन तो दे रहे हैं, हमारा दृढ़ विश्वास है कि जो आज मौन हैं कल वे मुखरित भी होंगे और हम प्रसन्न मन से उनके विचारों का स्वागत करेंगे, कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है, जो लोग अपने मन में यह ग्रम पाले हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर हमारा एकाधिकार है उन्हें यह नहीं मूलना चाहिये कि घम जब टूटता है तो बहुत कष्ट होता है। देखा जाये तो बर्बस भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, हर एक की अपनी एक सीमा होती है, सीमा रहित तो कोई होता नहीं है, जिस प्रकार समुद्र मले ही असीमित जलराशि का स्वामी क्यों न हो परन्तु उसकी भी अपनी सीमायें हैं, प्रकाश अन्धकार पर विजय ज़रूर पाता है लेकिन उसकी भी सीमायें हैं टीक उसी प्रकार हम सबकी भी सीमायें हैं।

इसलिये इन्हीं सीमाओं के अन्दर रहते हुये विकास के कार्य करने हैं।

फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया

एक गीत जिसकी पंक्तियाँ हमें जीवन की सार्थकता का बोध कराती हैं, बोध के साथ-साथ हमें इस बात की भी प्रेरणा देती है कि अगर कुछ पाना है तो निरन्तरता से विलग नहीं होना चाहिये क्योंकि निरन्तर लगे रहने से कुछ न कुछ प्राप्त तो होता ही है और जहाँ निरन्तरता टूटती है वही आशाओं पर विराम लगना चालू हो जाता है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम यह पंक्तियाँ हमारे जीवन का वह शाश्वत सत्य हैं जिसे हमें कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी परिस्थितियों में स्वीकार करना ही पड़ता है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विद्वम्बना है कि इसकी गति में कभी भी निरन्तरता रह ही नहीं पाती और यही मुख्य कारण है जो इस चिकित्सा पद्धति के विकास का सबसे बड़ा बाधक तत्व है, यदि दिन सत्यता को हम समझ लें तो शायद जो पाने के लिये हम सब इतना सार्थक कर रहे हैं वह सार्थक कम हो जाता, ऐसा नहीं है कि रास्ता सुगम नहीं है ! रास्ता तो आसान है परन्तु हम सभी की व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं ने मार्ग को दुफुल से दुफुल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। यदि हम सब इस स्थिति के आने पर गम्भीरता से विचार करें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान परिस्थितियों का कारण है समावहीनता और निरन्तरता में कमी।

लक्ष्य को मेटने के लिये जिस समग्रता की आवश्यकता होती है उसके दर्शन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में यदा-कदा ही होते हैं। निरन्तरता का अभाव हमें लगातार पीछे छोड़ रहा है इसके वैसे तो अनेकों उदाहरण हैं परन्तु स्वभावानुरूप हम प्रत्येक घटना को स्वयं पर घटित करके देखते हैं फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, इस समीक्षा के बाद हमने क्या पाया ? इस पर चिन्तन करते हैं और जो कुछ हमें नहीं मिलता ! उसके परिपेक्ष में क्या है ? इसका निर्णय किये गये कार्यों के आधार पर ही करते हैं। नहीं मिला-या-नहीं पाया जैसे शब्दों का स्थान कर्तव्ययोगियों के शब्दकोश में नहीं होता।

05-05-2010 को भारत सरकार से यह स्पष्टीकरण आने के बाद कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में किसी भी प्रकार के रोक का प्रस्ताव नहीं है इस घटना ने पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक नई चेतना को जन्म दिया था हर व्यक्ति आत्मादित था, खुशी पूरे चरम पर थी हर तरफ उत्साह का वातावरण था लेकिन यह उत्साह प्रसन्नता में तब बदला जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल

एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रयासों से 21 जून, 2011 का ऐतिहासिक आदेश पारित हुआ, वैसे तो हम सभी इस आदेश से परिचित हैं परन्तु फिर भी एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि 05-05-2010 का आदेश मात्र स्पष्टीकरण है यह आदेश कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं करता जबकि 21 जून, 2011 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने के मार्ग प्रस्तुत करता है।

यह आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति देता है। इस आदेश की सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार ने इस आदेश के क्रियान्वयन के लिये सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि हर राज्य अपने यहाँ इस आदेश का क्रियान्वयन करे। सबसे पहले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इस आदेश का क्रियान्वयन हुआ और इस बार भी इसका श्रेय प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश की एकमात्र विधिसम्मत ङंग से स्थापित संस्था बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० को और इस का श्रेय भी जाता है बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के चेयरमैन डा० एम० एच० इंदरीसी को, इस आदेश ने पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने की स्थिति पैदा कर दी, इसका व्यापक प्रचार भी किया गया प्रत्येक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक तक यह शुभ सन्देश पहुँचे इसके लिये प्रचार के हर माध्यम का सहारा लिया गया, लेकिन कभी-कभी हँसी आती है कि साढ़े चार साल बीत जाने के बाद भी अभी भी अनेकों ऐसे चिकित्सक हैं जिन्हें अपने अधिकारों से परिचय नहीं है यदि हम इस विषय पर गम्भीरता एवं वास्तविकता से विचार करें तो जो तथ्य सामने आते हैं वे कम रोचक नहीं होते लेकिन हम यह स्वीकारते हैं कि यह निरन्तरता के अभाव में ही यह सब हो रहा है, कभी-कभी संवदहीनता भी रिवतता को जन्म देती है और रिवतता जब ज़्यादा हो जाती है तो असहज स्थिति जन्म लेती है और ऐसे असहज स्थिति से निपटना कभी-कभी मुश्किल सा हो जाता है।

बोर्ड ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित सूचनायें हर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक तक पहुँचाने के लिये जो प्रयास किये निःसन्देह वह प्रयास सराहनीय हैं यह अलग बात है कि हमें शत प्रतिशत सफलता प्राप्त नहीं हुई लेकिन हम इससे हताश नहीं हैं, बारम्बार प्रयास करने से सफलता का प्रतिशत अवश्य बढ़ेगा, गत वर्ष बोर्ड द्वारा

चिकित्सकों को जागरूक करने के लिये तथा प्रदेश में स्थापित चिकित्सक की तरह चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक को क्या-क्या कार्य करने हैं ? इससे परिचित कराने के लिये चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान का श्रीगणेश किया गया।

प्रदेश व्यापी इस अभियान में बहुत सारे जिलों एवं मण्डलों को समाहित किया गया था, जगह-जगह पहुँचकर चिकित्सकों को इस बात से अवगत कराया गया था कि अब आप अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं, आपको भी वही अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को प्राप्त हैं सिर्फ नौकरी के अधिकार को छोड़कर।

जब चिकित्सक अधिकारिता जागरूकता अभियान के उद्देश्य को लेकर हम निकले तो बहुत लोगों ने हमारा उपहास किया, हमारे कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रश्नचिन्ह भी लगाया पर हम तो हम हैं यहाँ जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कहे हमारी कार्यप्रणाली स्पष्ट और पारदर्शी है, हम जो नीतियाँ बनाते हैं उसके मूल में लक्ष्य पाने का उद्देश्य होता है, हम भी जानते हैं कि लक्ष्य आसानी से पाया नहीं जा सकता है लेकिन इस भय से कि सफलता नहीं मिलेगी हम राह नहीं बदलते क्योंकि निराशा और रुकना हमारी प्रकृति नहीं है, हम तो यही मानते हैं कि रुकजाना नहीं तु कहीं हार के — इसीलिये निरन्तरता में बाधा नहीं आने देते कुछ काम यदि एक बार में पूरे नहीं हुये तो उसे दुबारा करने का प्रयास करते हैं, प्रथम प्रयास में हमारे जो चिकित्सक जागरूक नहीं हो पाये उनके लिये पुनः प्रयास करेंगे सम्भावनायें कभी समाप्त नहीं होती हैं हर दिन एक नई सम्भावना जन्म लेती है और यही नई सम्भावना हमें कार्य करने की नई ऊर्जा प्रदान करती है।

हम इस बात से प्रसन्न हैं कि कल तक जो हमारे अभियान का परिहास करते थे आज वही इस अभियान में अपना जीवन तलाश कर रहे हैं, हम न कल रुके थे न आगे रुकेंगे जो चलने की राह हमने चुन ली है उसपर तबतक चलते रहेंगे जबतक सफलता मिल नहीं जाती, सफलता न मिले ऐसा हो नहीं सकता।

हम बिना सफलता पाये रुक जायें ऐसा हमारे साथ भी नहीं हो सकता।

अब जब मजिल हमारे करीब है तो कैसा दिशाधम ? और कैसी रुकावट ?

खुशी मिली इतनी — कि — मन में न समाये

8 अक्टूबर, 2016 का दिन इदरीसी परिवार में खुशियों का दिन बनकर आया। एक तरफ 8 अक्टूबर, 2016 को डा0 इदरीसी ने अपना 60 वां जन्मदिन समारोह धूम-धाम से मनाया वहीं योग्य पिता की योग्य पुत्री ने अपने पिता को जो नयाब तोहफा दिया वह वर्षों तक डा0

इदरीसी को याद रहेगा। डा0 मारिया इदरीसी ने आज के दिन को यादगार बनाने के लिए इलेक्ट्रो थेरेपी केन्द्र खोलकर अपने पिता को समर्पित किया और पिता ने भी गदगद होकर अपनी होनहार पुत्री को सफल होने की कामना की। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य

लोगों सहित कई अस्थिरोग विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

इस तरह से 8 अक्टूबर, 2016 का दिन डा0 इदरीसी के जीवन में दोगुनी खुशियां लेकर आया इस अवसर को और अधिक यादगार बनाने के लिए केक काटने की रस्म के साथ-साथ रात को एक

माध्यम से बधाईयां दी गयीं लोगों ने कामना की कि डा0 इदरीसी इसी पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नेतृत्व करते रहें साथ-साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उसके अपेक्षित स्थान

तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दें। कार्यक्रम को मव्य बनाने में जफर इदरीसी, शाहीना इदरीसी, स्वालेहा इदरीसी, फिलजा इदरीसी एवं मिथलेश कुमार मिश्रा का विशेष योगदान था।



इलेक्ट्रो थेरेपी केन्द्र के उदघाटन के बाद वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डा0 ए0 के0 मिश्रा डा0 मारिया इदरीसी (डा0 एम0 एच0 इदरीसी की छोटी पुत्री) को केक खिलाते हुये—छाया गजट



इलेक्ट्रो थेरेपी केन्द्र की संचालिका डा0 मारिया इदरीसी गुलदस्ता के साथ। — छाया गजट



षष्ठीपूर्ति के अवसर पर डा0 इदरीसी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुये इंजीनियर प्रांजल गुप्ता। —छाया गजट

मव्य भोज का आयोजन भी किया गया था इस भोज में परिवारिक सदस्यों के साथ-साथ कुछ करीबी इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी शामिल थे इस अवसर पर देश भर से डा0 इदरीसी को सोशल मीडिया के



षष्ठीपूर्ति के अवसर पर अपने लोगों की बधाईयां लेते हुये डा0 इदरीसी — छाया गजट

कार्य करने वालों का सम्मान तो होना ही चाहिये – डा० इदरीसी

कार्य करने वालों का सम्मान तो होना ही चाहिये सम्मान व्यक्ति को औरों से श्रेष्ठ बनाता है, जिससे सम्मान पाने वाले व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा अपने आप बढ़ जाती है यह विचार बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्र होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के चेयरमैन डा० एम० एच० इदरीसी ने फतेहपुर इलेक्ट्र होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट के संचालक डा० अफ़जाल अहमद काजमी को सम्मानित करते हुए व्यक्त किये।

डा० इदरीसी ने कहा कि काम तो हर व्यक्ति करता है लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके किये हुए कार्य वर्षों तक याद किये जाते हैं और समाज हित में भी होते हैं, डा० काजमी हमारे बहुत पुराने साथी हैं इनके साथ काम करने का हमें सुखद अनुभव है फतेहपुर जैसे पिछड़े जिले में डा० काजमी की मेहनत से ही इलेक्ट्र होम्योपैथी स्थापित हो सकी है। हमें याद आता है कि इस जनपद में योग्य और पढ़े लिखे हुए डाक्टरों की बहुत कमी थी डा० काजमी ने समाज की इस पीड़ा को जाना और जनहित में इलेक्ट्र होम्योपैथी विद्यालय की स्थापना की और क्षेत्र को

शिक्षित चिकित्सक उपलब्ध कराये, हम डा० काजमी के इस कार्य की प्रशंसा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इलेक्ट्र होम्योपैथी के विकास के लिए इसी तरह अपना योगदान देते रहेंगे। इस अवसर पर बोर्ड के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद ने डा०

काजमी के कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि बोर्ड को डा० काजमी से बड़ी अपेक्षाएँ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने उम्मीदें कर रखी हैं उन्हें काजमी साहब अवश्य पूरा करेंगे। बोर्ड के अधिकारी डा० मिथलेश कुमार ने डा० काजमी को बधाई देते हुए

कहा कि आप की ऊर्जा और जज़्बातों को हम सलाम करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उम्र आप पर हावी नहीं होगी आज से 37 साल पहले जिस ऊर्जा से कार्य करते थे उसी ऊर्जा से कार्य करेंगे। इस सम्मान को पाकर डा० अफ़जाल अहमद काजमी

इतने भावुक हो गये कि उन्होंने रुधे कण्ठ से कहा कि आप सबने सम्मान देकर जो हमें प्रसन्नता दी है उसके लिए हम जीवन भर आभारी रहेंगे बोर्ड का जो सहयोग और समर्थन हमें बोर्ड अधिकारियों द्वारा मिलता रहा है उसका भी मैं ऋणी रहूँगा, मानव स्वभाव होने के कारण ! इलेक्ट्र होम्योपैथी की जब स्थिति बिगड़ी तो मेरा मन भी डोला, लेकिन डा० इदरीसी के सहयोग और सानिध्य ने मुझे विचलित नहीं होने दिया, खासतौर पर मैं बोर्ड के रजिस्ट्रार डा० अतीक अहमद को धन्यवाद देता हूँ जिनके सहयोग से मैं अपने कार्य में निखार ला सका और बोर्ड को विश्वास दिलाता हूँ कि अपने जीवन का शेष समय इलेक्ट्र होम्योपैथी के विकास के लिए समर्पित करूँगा डा० इदरीसी, डा० अतीक अहमद व डा० मिथलेश कुमार मिश्रा जब भी जहाँ मेरा उपयोग चाहें कर सकते हैं। मैं उनके साथ चलने में कभी भी पीछे नहीं रहूँगा, गति धीमी भले हो, लेकिन कदमों को पीछे नहीं खींचूँगा यह मात्र मेरे जज़्बात नहीं है बल्कि यह इलेक्ट्र होम्योपैथी के प्रति मेरा प्रेम मेरी निष्ठा और मेरा स्नेह है।



फतेहपुर इलेक्ट्र होम्योपैथिक मेडिकल इन्स्टीट्यूट के प्रबन्धक डा० अफ़जाल अहमद काजमी को उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रमाण पत्र प्रदान करते हुये डा० एम० एच० इदरीसी-चेयरमैन बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्र होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० छाया-गज़ट

कुछ तो बात ज़रूर है यँही कोई एक साथ बैठकर वार्ता नहीं करता

इलेक्ट्र होम्योपैथी की दशा को लेकर आज कल सारे भारत वर्ष के इलेक्ट्र होम्योपैथी के संस्था संचालक चिन्तित से दिखायी दे रहे हैं, हर व्यक्ति को अपने भविष्य की चिन्ता है! और चिन्ता इसलिए ज़्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि दिन प्रति दिन इलेक्ट्र होम्योपैथी पर कानून का शिकजा कसता जा रहा है इलेक्ट्र होम्योपैथी संस्थाओं का काम करना अब उतना आसान नहीं है जितना कि पहले था। अब देश में दो तरह

की इलेक्ट्र होम्योपैथी की संस्थाएँ है एक वह है जिन्हें इलेक्ट्र होम्योपैथी से कार्य करने के लिए शासनादेश प्राप्त है, दूसरे वह लोग हैं जो अधिकार पाने के लिए संघर्षरत हैं दोनों ही स्थितियों में कार्य करने के लिए कानून का पालन करना आवश्यक ही नहीं बल्कि बाध्यकारी भी है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए तथा भविष्य की रणनीति बनाने के लिए इलेक्ट्र होम्योपैथी के वरिष्ठ डा० वी०

कुमार ने बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्र होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के चेयरमैन डा० एम० एच० इदरीसी व इहमाई के महासचिव डा० प्रमोद शंकर बाजपेयी से गम्भीर मंत्रणा की। सूत्र बताते हैं कि इस सघन बैठक में इलेक्ट्र होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए अन्य संस्थाएँ कैसे योग्यदान दे सकती हैं पर गम्भीर चर्चा हुई एक और मीटिंग के बाद कोई नई रणनीति बनने की पूरी सम्भावना है।



कुछ तो बात ज़रूर है ! यँही कोई एक साथ नहीं बैठता ! बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्र होम्योपैथिक मेडिसिन, उ०प्र० के चेयरमैन डा० एम० एच० इदरीसी, इहमाई के महासचिव डा० प्रमोद शंकर बाजपेई एवं आई०ई०एच०एम०सी० के चेयरमैन डा० वी० कुमार से वार्ता करते हुये। छाया-गज़ट

क्या आप जानते हैं ?
प्रदेश में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट
लागू हो चुका है

अतः

बिना बोर्ड से पंजीकरण कराये

व

अवधि समाप्ति के बाद भी

जो

चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं

अविलम्ब

अपना पंजीयन/रिन्यूवल शीघ्र करा लें

क्योंकि

बिना वैध पंजीयन प्रैक्टिस

संज्ञेय अपराध है

विस्तृत जानकारी के लिये

Log in करें

www.behm.org.in

